



भारतीय स्टेट बैंक

केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, कारपोरेट केन्द्र, मुंबई

(फोन: 022-2282 0427; फैक्स: 022-2282 0411; ई-मेल: crpd@sbi.co.in)

भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी अधिकारियों की भर्ती

विज्ञापन संख्या सीआरपीडी/पीओ/2016-17/19

आवेदन का ऑन-लाइन पंजीकरण और शुल्क (फीस) जमा करने की तिथि : 07.02.2017 से 06.03.2017

भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी अधिकारियों (पीओ) के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं. चयनित उम्मीदवारों को भारत में कहीं पर भी पदस्थ किया जा सकता है.

भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने की इच्छा रखने वाले पात्र उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के लिए अपना ऑन-लाइन पंजीकरण करना होगा. परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी, प्रारंभिक और मुख्य. प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए और सूची में शामिल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा देनी होगी और मुख्य परीक्षा में चुने गए उम्मीदवारों को बाद में समूह चर्चा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा.

भावी उम्मीदवारों को परीक्षा और साक्षात्कार की प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया, निर्धारित आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान, परीक्षा का पैटर्न, कॉल लेटर का जारी किया जाना, आदि से संबंधित विज्ञापन में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ने के बाद आवेदन करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि वे निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं और निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं.

भर्ती प्रक्रिया का प्रस्तावित कार्यक्रम इस प्रकार है :

गतिविधि	दिनांक
उम्मीदवार द्वारा सम्पादन एरां संशोधन सहित आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण	07-02-2017 से 06-03-2017
आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान	07-02-2017 से 06-03-2017
ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा के लिए कॉल लेटर को डाउनलोड करना	15-04-2017 से
ऑनलाइन परीक्षा - प्रारंभिक	29 एवं 30 अप्रैल और 6 एवं 7 मई '17
ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम - प्रारंभिक	17-05-2017
ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के लिए कॉल लेटर को डाउनलोड करना	22-05-2017 से
ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन - मुख्य	4 जून 2017
परिणाम की घोषणा	19 जून 2017
साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर को डाउनलोड करना	26 जून 2017
समूह चर्चा और साक्षात्कार का आयोजन	10 जुलाई 2017 से
अंतिम परिणाम की घोषणा	5 अगस्त 2017
अनु.जाती/अनु.जन जाती/धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण	
परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण के लिए कॉल लेटर को डाउनलोड करना	07-04-2017 से
परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन	17-04-2017 से 22-04-2017

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि विवरण और अद्यतन जानकारी के लिए एसबीआई की अधिकृत वेबसाइट www.sbi.co.in देखते रहें.

रिक्त-पद :

रिक्त-पद					रिक्त-पद (पीडब्ल्यूडी)			
अजा	अजजा	अपिव*	सामान्य	कुल	अस्थि विकलांग	दृष्टि विकलांग	श्रवण बाधित	कुल
347	350	606	1010	2313	25	25	40	90

उपर्युक्त उल्लिखित कुल रिक्त-पदों में नीचे दिये गए पिछले बकाया रिक्त-पद शामिल हैं

अजा	अजजा	अपिव	कुल	अस्थि विकलांग	दृष्टि विकलांग	श्रवण बाधित
47	200	66	313	5	5	20

*अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षित रिक्त-पद 'नॉन क्रीमी लेयर' से संबंधित ओबीसी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं. 'क्रीमी लेयर' वाले ओबीसी उम्मीदवार अपनी श्रेणी को 'सामान्य' श्रेणी के रूप में दर्शाएं. (दृष्टि विकलांग, अस्थि विकलांग और श्रवण बाधित श्रेणी के उम्मीदवारों से संबंधित रिक्त-पदों को समस्तर पर आरक्षित किया गया है.)

आरक्षण सहित सभी रिक्त-पद अनंतिम हैं तथा इनमें बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है.

1. पात्रता मानदंड :

क) अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता : (01.07.2017 को)

मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी वर्ग में स्नातक या केन्द्र सरकार से मान्यताप्राप्त समकक्ष शैक्षणिक योग्यता. जो उम्मीदवार अपनी स्नातक परीक्षा के अंतिम वर्ष/सिमेस्टर में हैं, वे भी अनंतिम रूप से इस शर्त के अध्वधीन आवेदन कर सकते हैं कि यदि उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, तो उन्हें दिनांक 01.07.2017 को या उससे पूर्व स्नातक परीक्षा पास करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा. समन्वित दोहरी डिग्री (आईडीडी) प्रमाणपत्र वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि आईडीडी की पासिंग (उत्तीर्ण) तिथि 01.07.2017 को या उससे पूर्व की तिथि है.

टिप्पणी :

(1) पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी अनंतिम प्रमाणपत्र या अंक-तालिका पर दी हुई तिथि होगी. यदि किसी परीक्षा विशेष के परिणाम विश्वविद्यालय/संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं, तो जिस तिथि को परिणाम वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं, वही तिथि उत्तीर्ण तिथि के रूप में स्वीकार की जाएगी.

(2) ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवारों को स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत निकटतम दो दशमलव तक दर्शाने होंगे. यदि सीजीपीए/ओजीपीए दिए गए हों, तो उन्हें प्रतिशत में रूपांतरित करके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाना होगा. साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर उम्मीदवार को उचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ श्रेणी को प्रतिशत में रूपांतरित करने संबंधी विश्वविद्यालय के नियम और उन नियमों के अनुसार उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए अंकों के प्रतिशत लिखे होने चाहिए.

(3) प्रतिशत की गणना : सभी सेमेस्टर/वर्षों में सभी विषयों में प्राप्त किए हुए अंकों को ऑनर्स/वैकल्पिक/अतिरिक्त वैकल्पिक विषय यदि कोई हो, के बावजूद भी कुल अधिकतम अंकों से विभाजित करके प्रतिशत अंक निकाले जाएंगे. यह नियम उन विश्वविद्यालयों के लिए भी लागू होगा, जहाँ वर्ग/श्रेणी केवल ऑनर्स के अंकों पर आधारित हो. इस तरह निकाले गए प्रतिशत में अपूर्णाक को नजरअंदाज किया जाएगा. जैसे 59.99% को 60% से कम समझा जाएगा और 54.99% को 55% से कम समझा जाएगा.

ख) आयु सीमा : (01.04.2017 को)

दिनांक 01.04.2017 को उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. अर्थात् उम्मीदवार का जन्म दिनांक 02.04.1987 से पहले और 01.04.1996 के पश्चात नहीं होना चाहिए (दोनों दिन समाविष्ट)

ऊपरी आयु सीमा में छूट :

अ.क्र.	श्रेणी	आयु में छूट
1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
2	अन्य पिछड़े वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)	3 वर्ष
3	शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)	पीडब्ल्यूडी (अजा/अजजा) 15 वर्ष पीडब्ल्यूडी (अपिव) 13 वर्ष पीडब्ल्यूडी (सामान्य) 10 वर्ष
4	आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों (ईसीओ)/अल्पावधि सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों (एसएससीओ) सहित भूतपूर्व सैनिक बशर्ते आवेदनकर्ता ने सैन्य सेवा में लगातार कम से कम 5 वर्ष सेवा की हो और जो निर्दिष्ट कार्यकाल पूरा होने पर सेवामुक्त किए गए हैं (इनमें वे भी शामिल हैं जिनका कार्यकाल आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष में पूरा होने वाला है) किंतु उनमें वे भूतपूर्व सैनिक शामिल नहीं हैं जिन्हें कदाचार या अकुशलता या शारीरिक अक्षमता के कारण सेवामुक्त किया गया है अथवा जो सैन्य सेवा से संबंधित अपंगता या अशक्तता के कारण से सेवामुक्त कर दिए गए हों.	5 वर्ष
5.	वे उम्मीदवार जो 1 जनवरी, 1980 और 31 दिसम्बर 1989 के बीच की अवधि में सामान्यतः जम्मू और कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे थे.	5 वर्ष

टिप्पणी : आयु सीमा संबंधी छूट उपर्युक्त मदों या विभिन्न मदों के अंतर्गत दर्शायी गई अन्य आयु सीमा की छूटों को मिलाकर नहीं दी जाएगी.

(ग) अन्य

(i) ऋण/क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि के भुगतान में चूक का रेकार्ड रखनेवाले उम्मीदवार तथा/अथवा जिनके नाम सिविल या अन्य बाह्य एजेन्सियों की प्रतिकूल रिपोर्ट में उपलब्ध हैं, वे इस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं.

(ii) जिन उम्मीदवारों के विरुद्ध चरित्र एवं पूर्ववृत्त (कैरेक्टर एंड एंटीसिडण्टस), नैतिक भ्रष्टता के विपरीत विवरण हैं, वे इस पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं.

2. शारीरिक रूप से अशक्त (पीडब्ल्यूडी) व्यक्तियों के लिए आरक्षण :

अशक्त (शारीरिक रूप से अशक्त) व्यक्तियों के अशक्त व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 33 के अंतर्गत रिक्त-पद शासकीय नियमानुसार आरक्षित है. उपर्युक्त अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार निम्न अशक्तता वाले उम्मीदवार सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं : अ) अस्थि विकलांग ब) दृष्टि विकलांग स) श्रवण बाधित.

केवल वे उम्मीदवार (ओएच/वीआई/एचआई) आरक्षण सेवा के पात्र होंगे, जिनमें संबंधित अशक्तता 40% से कम न हो. जिस व्यक्ति को आरक्षण का लाभ पाना है, उसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से अशक्तता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. यह प्रमाणपत्र पंजीकरण की अंतिम तिथि या उससे पूर्व का होना चाहिए.

अ) अस्थि विकलांग (ओएच) :

केवल ओएच उम्मीदवार जिन्हें चलने में कठिनाई की (लोकोमोटर) विकलांगता अथवा न्यूनतम 40% चलने में कठिनाई की विकलांगता के साथ प्रमस्तिष्क पक्षाघात हों और केवल वही जो निम्नलिखित विकलांग वर्गीकरण में आते हैं, इस पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं.

- ओए-एक हाथ प्रभावित (दाहिना या बायां)
- ओएल-एक पैर प्रभावित (दाहिना या बायां)
- ओएएल-एक हाथ और एक पैर प्रभावित
- बीएल-दोनों पैर प्रभावित किंतु हाथ प्रभावित नहीं

ब) दृष्टि बाधित (वीआई) :

दृष्टिहीनता : केवल वे ही दृष्टिहीन विकलांग (वीएच) व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र है, जो निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति से ग्रस्त है :

- दृष्टि का अभाव
- वास्तव में दृष्टि सुधारात्मक लेंस के साथ बेहतर आंखों में 6/60 अथवा 20/200 (स्नेलेन) से अधिक न हो
- दृष्टि के क्षेत्र की सीमा विरुद्ध दिशा में 20 डिग्री के कोण बनाती हो या उससे भी कम.

मंद दृष्टि : विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 के अध्याय-1, पैरा 2(यू) में यथा परिभाषित उम्मीदवार, जिनके पास कम दृष्टि है.

स) श्रवण बाधित :

बधिर व्यक्ति वे होते हैं, जिनमें जीवन के आम उद्देश्य के लिए सुनने की शक्ति काम नहीं कर रही हो, अर्थात् दोनों कानों में श्रवण शक्ति की हानि. वे सुन नहीं पाते, परिवर्धित वाणी की ध्वनि को भी समझ नहीं पाते. बहरापन यानी बेहतर कान में भी फ्रिक्वेंसी की संवाद सीमा में साठ या उससे अधिक डेसिबल का अभाव.

लेखक का उपयोग और प्रतिपूरक समय :

यदि उम्मीदवार चाहते हैं, तो लेखक (Scribe) की सुविधा ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए अनुमत की जाएगी जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक अशक्त है. अशक्तता वाले केवल उन्हीं उम्मीदवारों को जिनकी लिखने में कमजोर होने के साथ-साथ लिखने की गति भी प्रभावित है. लेखक का उपयोग करने के सभी मामलों में निम्नलिखित नियम लागू होंगे.

- जो उम्मीदवार पात्र है और परीक्षा में लेखक की सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन फार्म में इस बात का सावधानीपूर्वक उल्लेख करना होगा.
- उम्मीदवार को ऑनलाइन परीक्षा के समय निर्धारित प्रारूप में एक उचित वचनपत्र देना होगा.

(पिछले पृष्ठ से जारी...)

13. पहचान-पत्र की पुष्टि परीक्षा के समय प्रस्तुत करनी होगी.

उम्मीदवार अपने साथ एक फोटो पहचान प्रमाण जैसे पासपोर्ट/ आधार/ पैन कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ मतदाता कार्ड/ विधिवत साक्ष्यांकित बैंक पासबुक/ स्कूल या कॉलेज/ राजपत्रित अधिकारी द्वारा आधिकारिक लेटरहेड पर जारी फोटो पहचान पत्र और उसकी स्वयं साक्ष्यांकित फोटोकापी भी लेकर आएँ. पहचान-प्रमाण की फोटो कॉपी कॉल लेटर के साथ परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक को देनी होगी, ऐसा न करने पर उम्मीदवार की पहचान पर संदेह होने पर उस उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

14. बायोमेट्रिक सत्यापन : बैंक विभिन्न स्तरों पर उम्मीदवारों के अंगूठे के निशान डिजिटल प्रारूप में ले सकता है, ताकि उम्मीदवार की प्रामाणिकता सत्यापित हो सके. उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विभिन्न स्तरों पर सही अंगूठे के निशान संकलित हो, किसी भी प्रकार की असंगति पर उम्मीदवार की उम्मीदवारिता को रद्द कर दिया जाएगा. किसी उम्मीदवार के नकली होने की बात सामने आने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ उसकी उम्मीदवारिता को भी रद्द कर दिया जाएगा. अतः आवेदक अपने हाथ पर बाह्य पदार्थ जैसे मेहंदी, स्याही, कोई रसायन इत्यादि न लगाए.

15. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई

(क) उम्मीदवारों को यह चेतावनी दी जाती है कि ऐसा कोई विवरण न दें/ संलग्न न करें जो असत्य, जाली/ बनावटी हो या आवेदनपत्र भरते समय किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को न छिपाएँ.

(ख) यदि लिखित परीक्षा/ साक्षात्कार के समय कोई उम्मीदवार निम्नलिखित बातों का दोषी पाया जाता है :

(i) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करना या (ii) छद्म व्यक्ति बनकर छद्म व्यक्ति द्वारा परीक्षा देना या (iii) परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार करना या प्रश्नपत्र (अथवा उसका कोई भाग)/ उत्तर पुस्तिका को परीक्षा हॉल से बाहर ले जाने या (iv) उम्मीदवार के रूप में अपने चयन हेतु किसी अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लेना या (v) अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनुचित साधन की सहायता लेना, तो ऐसे उम्मीदवार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही तो होगी ही, साथ ही:

अ) जिस परीक्षा में भाग ले रहे होंगे, उसमें उसे **अयोग्य** घोषित किया जाएगा.
ब) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित भर्ती के लिए किसी भी परीक्षा से स्थायी रूप से या किसी निश्चित अवधि के लिए **वंचित** कर दिया जाएगा.

(ग) **बैंक उम्मीदवार के जवाबों का परीक्षा में शामिल अन्य उम्मीदवारों के जवाबों के साथ समानता ढूँढने के लिए विश्लेषण करता है. इस विश्लेषण के आधार पर यदि यह पाया गया कि जवाब एक जैसे हैं, और प्राप्त अंक यथार्थ/वैध नहीं हैं, तो बैंक के पास उम्मीदवारिता रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है.**

(घ) **उम्मीदवारों को मोबाइल फोन, पेजर, कैलक्यूलेटर या ऐसे उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है.**

i) जहां परीक्षा आयोजित की गयी है, उस परिसर में मोबाइल फोन, पेजर्स या कोई भी संचार उपकरण लाने की अनुमति नहीं है. इन सूचनाओं का पालन न करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और भविष्यकालीन परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति न मिलने के साथ-साथ उन पर अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी.

ii) उम्मीदवारों को उनके हित में यह सूचना दी जाती है कि वे मोबाइल फोन/ पेजर्स जैसी निषिद्ध वस्तुएं परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि इन चीजों के सुरक्षित रखरखाव का आश्वासन नहीं दिया जा सकता.

iii) उम्मीदवारों को परीक्षा परिसर में कैलक्यूलेटर लाने या उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है.

16. सामान्य सूचना :

(i) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रणाली द्वारा निर्मित अपने ऑन लाइन आवेदन-पत्र का प्रिंट आउट लें.

(ii) उम्मीदवार ने जिस पद के लिए आवेदन किया है, उस पद के लिए अपनी पात्रता के बारे में संतुष्टि करें ऐसे सभी उम्मीदवारों को ऑन लाइन आवेदन में प्रस्तुत जानकारी और आवश्यक फीस का भुगतान करने पर परीक्षा में शामिल होने की बैंक अनुमति देगा और साक्षात्कार के समय पात्रता को निर्धारित करेगा.

(iii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से काफी पहले ऑन लाइन आवेदन करें और फीस का भुगतान करें ताकि इंटरनेट पर अतिभार से या वेबसाइट बंद होने से डिस्कनेक्शन/असहायता/वेबसाइट पर लॉग ऑन के लिए असमर्थता आदि न हो.

(iv) ऊपरनिर्दिष्ट कारणों से या एसबीआई के नियंत्रण के बाहर के कारणों से अंतिम तिथि के पहले आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थता होने वाले उम्मीदवारों की जिम्मेदारी भारतीय स्टेट बैंक की नहीं होगी.

(v) उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत न करें. यदि उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन करता है, तो केवल अंतिम वैध (पूर्ण) आवेदन मान्य होगा और आवेदन शुल्क/ सूचना प्रभार जो अन्य आवेदनपत्रों के लिए भरा है उसे जब्त किया जाएगा. उम्मीदवार की परीक्षा में/ या समूह कार्य और साक्षात्कार के लिए अनेक बार उपस्थिति/ प्रकटन मान्य नहीं होगा और उसकी उम्मीदवारिता रद्द की जाएगी.

(vi) परीक्षा के आयोजन के समय कुछ समस्याओं के उत्पन्न होने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसका प्रभाव परीक्षा के आयोजन तथा/ अथवा परिणामों पर भी पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में, ऐसी समस्या को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा और ऐसे प्रयास में यदि आवश्यक हुआ तो दूसरी परीक्षा का आयोजन करना शामिल है.

(vii) जो उम्मीदवार सरकारी/ अर्ध-सरकारी कार्यालय, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत हैं, उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' लेकर साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें जिसके बिना उनकी उम्मीदवारिता रद्द की जा सकती है और यात्रा किराया, यदि कोई हो, तो उसका भुगतान नहीं किया जाएगा.

(viii) चयन होने पर, नियुक्ति स्वीकारने के समय, उम्मीदवार को अपने पूर्व नियोक्ता से उचित कार्य-मुक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.

(ix) अ.जा/ अ.ज.जा उम्मीदवारों को यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, तो भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(x) अ.पि.व. श्रेणी में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में घोषणापत्र देना होगा कि वह दिनांक 06.03.2017 को क्रीमी लेयर में समाविष्ट नहीं था. 'नॉन क्रीमी लेयर' उल्लिखित अपिब प्रमाणपत्र वाले उम्मीदवारों को यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, तो उन्हें दि.01.04.2017 से साक्षात्कार की तिथि तक जारी किया हुआ प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए.

(xi) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ई-मेल आईडी कॉल लेटर/ साक्षात्कार निर्देश आदि पाने के लिए एक्टिव रखें.

(xii) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति बैंक द्वारा नियुक्त/ अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ घोषित किए जाने के अध्यक्षीन होगी.

(xiii) इस विज्ञापन तथा/ अथवा इसके प्रत्युत्तर में आने वाले आवेदन के कारण किसी दावे या विवाद होने की स्थिति में हर कानूनी कार्यवाही के लिए किसी भी दावे/ विवाद पर वाद सिर्फ मुंबई में ही शुरू किया जाएगा तथा मुंबई में ही स्थित न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ मंचों को ही ऐसे वाद/ विवाद निपटाने का एकमात्र तथा विशेष क्षेत्राधिकार रहेगा.

17. घोषणा :

इस प्रक्रिया से जुड़ी सभी भावी घोषणाएँ/ सूचनाएँ समय-समय पर केवल एसबीआई की अधिकृत वेबसाइट www.sbi.co.in पर ही प्रकाशित/ उपलब्ध कराई जाएगी.

18. दावा-परित्याग :

भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर इस बात का पता चलने पर कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा है और या उसने कोई गलत जानकारी दी है या किसी महत्वपूर्ण बात को छिपाया है, तो उसकी उम्मीदवारिता को रद्द कर दिया जाएगा. यदि इनमें से कोई बात नियुक्ति के बाद उजागर हो, तब भी उस उम्मीदवार की नौकरी रद्द की जा सकती है. पात्रता, लिखित परीक्षा, अन्य परीक्षाओं का आयोजन और चयन आदि मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और वह सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी रहेगा. इस बारे में किसी भी अभ्यावेदन या पत्राचार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा.

किसी भी प्रकार की सिफारिश अपात्रता मानी जाएगी.

मुंबई

दिनांक : 06.02.2017

महाप्रबंधक

परीक्षा केंद्र (अनन्तिम सूची)

अनुलग्नक I

राज्य कोड	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	प्रारंभिक परीक्षा केंद्र	मुख्य परीक्षा केंद्र
11	अण्डमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर	पोर्ट ब्लेयर
12	आंध्र प्रदेश	चिराला, चित्तूर, गुंटुर, हैदराबाद, काकीनाडा, कुर्नुल, नेल्लोर, ओंगोले, पुत्तूर, राजमुंद्री, श्रीकाकुलम, तिरुपति, विजयवाडा, विशाखापट्टनम, विजियानगरम्	गुंटुर, कुर्नुल, विजयवाडा, विशाखापट्टनम
13	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर, नाहरियागुन	इटानगर,
14	असम	डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोराहट, कोकराझार, सिलचर, तेजपुर	गुवाहाटी
15	बिहार	आरा, औरंगाबाद, बिहारशरीफ, भागलपुर, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मुज़फ्फरपुर, पटना, पुर्णिया, समस्तीपुर, सिवान	आरा, हाजीपुर, पटना
16	चंडीगढ़	चंडीगढ़	चंडीगढ़
17	छत्तीसगढ़	भिलाई, बिलासपुर, रायपुर	रायपुर
18	गोवा	पणजी, वेरना	पणजी
19	गुजरात	अहमदाबाद, आणंद, गांधीनगर, हिम्मतनगर, जामनगर, मेहसाणा, राजकोट, सुरत, वडोदरा	अहमदाबाद, गांधीनगर
20	हरियाणा	अंबाला, बहादुरगढ़, हिस्सार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पालवल, पानीपत, सोनिपत, यमुनानगर	बहादुरगढ़, हिस्सार
21	हिमाचल प्रदेश	बड़ड़ी, बिलासपुर, धरमशाला, हमीरपुर, कांगड़ा, कुलू, मंडी, सिरमौर, शिमला, सोलन, ऊना	शिमला, सोलन
22	जम्मू और कश्मीर	जम्मू, कथुआ, सांबा, श्रीनगर	जम्मू, श्रीनगर
23	झारखंड	बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची	जमशेदपुर, रांची
24	कर्नाटक	बेलगाम, बेंगलुरु, बिदर, गुलबर्गा, हुबली, मंगलोर, मैसूर, शिमोगा, उडिपी	बेंगलुरु
25	केरल	अलप्पुझा, कन्नूर, कोचि, कोल्लाम, कोट्टायम, कोझिकोड, मलप्पुरम, पालक्कड, त्रिचुर, तिरुवनंतपुरम	कोचि, तिरुवनंतपुरम
26	लक्षद्वीप	कवराती	कवराती
27	मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन	भोपाल, इंदौर
28	महाराष्ट्र	अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपुर, धुळे, जळगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई/ठाणे / नवी मुंबई, नागपुर, नांदेड, नासिक, पुणे, रत्नागिरी, सांगली, सातारा	औरंगाबाद, नागपुर, पुणे, मुंबई/ठाणे / नवी मुंबई
29	मणिपुर	इम्फाल	इम्फाल
30	मेघालय	री-भोई, शिलांग	शिलांग
31	मिज़ोरम	आइजवाल	आइजवाल
32	नागालैंड	कोहिमा	कोहिमा
33	दिल्ली - एनसीआर	दिल्ली, फरिदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुडगांव	दिल्ली, फरिदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुडगांव
34	ओडिसा	अंगुल, बालासोर, बारगढ़, बारीपदा, बरहमपुर (गंजम), भुवनेश्वर, कटक, धेनकनाल, झारसुगडा, राऊरकेला, संबलपुर	भुवनेश्वर
35	पुडुचेरी	पुडुचेरी	पुडुचेरी
36	पंजाब	अमृतसर, भटिण्डा, फतेगढ़साहिब, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पटाणकोट, पटियाला, फगवारा, संगरूर	भटिण्डा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला
37	राजस्थान	अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर	जयपुर
38	सिक्किम	गंगटोक	गंगटोक
39	तमिलनाडु	चेन्नई, कोयम्बतूर, डिंडिगुल, कृष्णगिरी, मदुराई, नागरकोईल, नमक्कल, पेरांबुलुर, सालेम, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, थुथूकोडी, तिरुनेलवेल्ली, वेल्लोर	चेन्नई, मदुराई, तिरुनेलवेल्ली
40	तेलंगाना	हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, वारंगल	हैदराबाद
41	त्रिपुरा	अगरतला	अगरतला
42	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, बुलंदशहर, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुझफ्फरनगर, उन्नाव, वाराणसी	आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी
43	उत्तराखंड	देहरादून, हल्दवानी, हरिद्वार, रुड़की	देहरादून
44	पश्चिम बंगाल	आसनसोल, बरहमपुर (पश्चिम बंगाल), बर्धमान, दुर्गापुर, हुगली, हावड़ा, कल्याणी, ग्रेटर कोलकाता, सिलिगुडी	हुगली, कल्याणी, ग्रेटर कोलकाता

(अगले पृष्ठ पर जारी...)

फोटोग्राफ (4.5 से.मी. x 3.5 से.मी.) और हस्ताक्षर स्कैनिंग और उनको अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवार के पास निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के स्कैन की हुई (डिजिटल) इमेज होना आवश्यक होगा.

फोटोग्राफ प्रतिमा :

- फोटोग्राफ अद्यतन, पासपोर्ट साइज और रंगीन होना चाहिए
- प्रतिमा (पिक्चर) रंगीन होनी चाहिए और वह सफेद या फीकी पार्श्वभूमि पर होनी चाहिए.
- स्वस्थ चित्त होकर कैमरा की ओर सीधे देखें.
- यदि प्रतिमा सूर्यप्रकाश में ली जाएं तो सूरज आपके पीछे हो या आप छाया में खड़े हो जिससे आपकी प्रतिमा साफ आए.
- अगर आप को फ्लैश का उपयोग करना पड़े तो 'रेड आई' न हो.
- अगर आप ऐनक का उपयोग करते हैं, तो आपकी आँखें साफ नजर आने के लिए ऐनक पर प्रतिबिंब न हो.
- टोपियाँ, हैट और काला चष्मा स्वीकार्य नहीं है. धार्मिक परंपरा के अनुसार पगड़ी स्वीकार्य है, पर उससे आपका चेहरा ढकना नहीं चाहिए.
- आयाम 200 X 230 पिक्सल (अधिमानित)
- फाइल का साइज 20 केबी-50 केबी के दरम्यान हो.
- सुनिश्चित करें कि स्कैन प्रतिमा की साइज 50 केबी से अधिक न हो. उसके बाद स्कैनर का सेटिंग समायोजित इस तरह करें कि डीपीआई रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि स्कैनिंग ठीक हो.

हस्ताक्षर प्रतिमा :

- उम्मीदवार सफेद कागज पर काले स्याही के पेन से हस्ताक्षर करें.
- हस्ताक्षर केवल उम्मीदवार का हो, और अन्य किसी व्यक्ति के किए हुए हस्ताक्षर से न मिले.
- हस्ताक्षर का उपयोग कॉल लेटर पर या जहाँ जरूरी हो, किया जाएगा
- परीक्षा के समय यदि उत्तर पुस्तिका (स्क्रिप्ट) पर किए हुए उम्मीदवार के हस्ताक्षर कॉल लेटर के हस्ताक्षर से नहीं मिलते हैं, तो आवेदक को अपात्र समझा जाएगा.
- आयाम 140 x 60 पिक्सल (अधिमानित)
- फाइल की साइज 10 केबी-20 केबी हो
- सुनिश्चित करें कि स्कैन्ड प्रतिमा साइज 20 केबी से अधिक न हो.
- **कैपिटल अक्षरों में किया गया हस्ताक्षर स्वीकृत नहीं होगा.**

फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैनिंग :

- स्कैन का रिजोल्यूशन न्यूनतम 200 डीपीआई (डॉटस् प्रति इंच) सेट करें.
- असली कलर सेटिंग करें.

- फाइल साइज (जैसा ऊपर विनिर्दिष्ट किया गया है)
- फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर प्रतिमा स्कैनर पर रखें, तत्पश्चात अपलोड एडिटर की मदद से प्रतिमा को अंतिम साइज में लाएं (जैसा ऊपर विनिर्दिष्ट किया गया है)
- प्रतिमा की फाइल जेपीजी या जेपीईजी फारमेट में हो. उदाहरण के लिए फाइल का नाम image01.jpg or image01.jpeg. प्रतिमा के आयाम की जांच फोल्डर फाइल का लिस्टिंग करके या माऊस को फाइल इमेज आईकॉन की ओर घूमाकर की जा सकती है.
- एमएस विन्डोज/ एमएस ऑफिस इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवार फोटोग्राफ और हस्ताक्षर जेपीईजी फारमेट में जो क्रमशः 50 केबी और 20 केबी से अधिक न हो, एमएस पेन्ट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर की मदद से आसानी से कर सकते हैं. किसी भी फारमेट में उपलब्ध स्कैन्ड फोटो और हस्ताक्षर जेपीईजी फारमेट में सेव अंज विकल्प चुनकर फाइल मेनू में सेव किया जा सकता है और फोटो का साइज 50 केबी से कम और हस्ताक्षर का साइज 20 केबी से कम साइज में लाया जा सकता है. इसके लिए क्रॉप का और रिसाइज विकल्प 'इमेज मेन्यू' में करें (पिक्सल साइज के लिए कृपया उपर्युक्त बिंदु 1.और 2. देखें) इसी तरह का विकल्प अन्य फोटो एडिटर में भी उपलब्ध है.
- यदि फाइल साइज एवं फारमेट निर्धारित मानदंड के अनुसार नहीं है, तो एरर (त्रुटि) संदेश नजर आएगा.
- ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवार को उसका फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए लिंक का उपलब्ध कराया जाएगा.

फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने की कार्य प्रणाली:

- फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दो अलग-अलग लिंक होंगे.
- संबंधित लिंक पर 'अपलोड फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर' क्लिक करें.
- स्कैन्ड फोटो/ हस्ताक्षर फाइल जहाँ पर 'सेव' की गई हो, वह स्थान ढूँढकर सिलेक्ट करें.
- क्लिक से फाइल सिलेक्ट करें.
- 'ओपन/ अपलोड' बटन पर क्लिक करें

आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि आप फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को निर्दिष्ट तरीके से अपलोड नहीं करते हैं.

नोट:

- (1) यदि फोटोग्राफ में चेहरा या हस्ताक्षर साफ नहीं दिख रहा हो, तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकृत हो सकता है. ऑनलाइन आवेदन फार्म में फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद उम्मीदवार को एक बार देख लेना चाहिए कि चित्र स्पष्ट हैं और ठीक तरीके से अपलोड किए गए हैं. फोटोग्राफ या हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई न देता हो, तो फार्म को जमा करने से पहले, उम्मीदवार अपने आवेदन में संशोधन कर सकता है तथा अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर फिर से अपलोड कर सकता है.
- (2) ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद उम्मीदवार को उनके सिस्टम द्वारा जनरेटेड ऑनलाइन आवेदन फार्म का प्रिंटआउट अपने पास रखने की सलाह दी जाती है.